संख्या- 4778/15-7-06-16(113)/2006

प्रेषक,

बाबू राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊः दिनांकः ~~दिसम्बर, 2006~~ 9.1.2007

विषय :- हिल्टन कान्वेंट स्कूल आवास विकास कालोनी अमरोहा जे0पी0नगर को सी0बी0एस0 ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नईदिल्ली/कौंसिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफ़िकेट इक्जामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें ।
(5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें ।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें ।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

/

(बाबू राम)
अनु सचिव।

पृ0संख्या एवं दिनांक तदेव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, जे0पी0नगर।
4- निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0,लखनऊ ।
5- प्रबंधक, हिल्टन कान्वेंट स्कूल आवास विकास कालोनी अमरोहा जे0पी0नगर।
6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
अनु सचिव।

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति)
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार,
नई दिल्ली।

पत्रांक: एन0ओ0सी0 / —— /2021-22 दिनांक: 24/02/2022

विषय: हिल्टन कान्वेंट स्कूल, अमरोहा के अनापत्ति प्रमाण-पत्र में पत्राचार का पता संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक संख्या संख्याः 4778/15-7-06-16(113)/2006 शिक्षा अनुभाग-7 दिनांक 09.01.2007 के द्वारा हिल्टन कान्वेंट स्कूल, आवास विकास कालोनी, अमरोहा जे0पी0नगर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया था। प्रबन्धक, हिल्टन कान्वेंट स्कूल, अमरोहा द्वारा अपने पत्र दिनांक 31.01.2022 के द्वारा अपने विद्यालय के पत्राचार के पते को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र में विद्यालय का जो पता दर्शाया गया है वह कालांतर में प्रचलन में नही रह गया है, वर्तमान में विद्यालय में अपने उसी मुख्य भूखण्ड जोया रोड अमरोहा से ही संचालित किया जा रहा है।

विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा प्राप्त कराये गये पत्राजात इस कार्यालय के पत्रांक: एन0ओ0सी0/6780-81/2021-22 दिनांक 17.02.2022 के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, अमरोहा को प्रेषित करते हुए आख्या मांगी गयी। इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 17.02.2022 पर ज़िला विद्यालय निरीक्षक, अमरोहा द्वारा अपने पत्रांक: सी0बी0एस0ई0/9786/2021-22 दिनांक 21.02.2022 के द्वारा विद्यालय भवन एवं अन्य मानकों के सम्बन्ध में अपनी आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि हिल्टन कान्वेंट स्कूल जनपद मुख्यालय कलेक्ट्रेट अमरोहा से जोया रोड से लिंक मार्ग पर स्थित है तथा यह अच्छी छवि का प्रतिष्ठित संस्थान है।

अतः जिला विद्यालय निरीक्षक, अमरोहा द्वारा प्राप्त करायी गयी आख्या के आधार पर विद्यालय के पत्राचार पते में हिल्टन कान्वेंट स्कूल, आवास विकास कालोनी, अमरोहा के स्थान पर हिल्टन कान्वेंट स्कूल, जोया रोड, अमरोहा संशोधित किया जाता है। अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शेष शर्तें यथावत रहेंगीं।

भवदीय

(मनोज कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

पृ0सं0: एन0ओ0सी0/6929-32 /2021-22 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिलाधिकारी, अमरोहा।
2- जिला विद्यालय निरीक्षक, अमरोहा।
3- प्रबन्धक, हिल्टन कान्वेंट स्कूल, जोया रोड, अमरोहा।

PRINCIPAL
Hilton Convent School (81259)
Amroha

MANAGER
Hilton Convent School
Amroha

(मनोज कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

Letters-2 2019